दिनांकः25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

महिला थाना पुलिस द्वारा अश्लील फब्तिया कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.07.2026 को महिला थाना मिशन शक्ति/एन्टीरोमियो टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त ***शिवम सिहं पुत्र इन्दर सिहं निवासी देव नगर कालोनी रामधाम रावली महदूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार*** *को मल्हीपुर रोड जे0वी0जैन डिग्री कालेज चौराहे के पास आने जाने वाली महिलाओं को देखकर इशारे व अश्लील फब्तिया कसते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध महिला थाना पर मु0अ0स0 116/2026 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शिवम सिहं पुत्र इन्दर सिहं निवासी देव नगर कालोनी रामधाम रावली महदूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *म0उ0नि0 रंजीता सैनी महिला थाना सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 जोगेन्द्र पाल महिला थाना सहारनपुर ।*
3. *म0है0का0 706 सुन्दरी महिला थाना सहारनपुर ।*
4. *म0का0 1542 वर्षा रानी महिला थाना सहारनपुर ।*

दिनांक –25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 10.06.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र ऋषिपाल(पति) 2.ऋषिपाल पुत्र नकली(ससुर) 3.संजय पुत्र ऋषिपाल(जेठ) 4. पुष्पा पत्नि संजय(जेठानी) निवासी ग्राम हरडेकी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की बहन सोनिया को दहेज के लिए प्रताडित करना व मारपीट करना तथा अति दहेज में 02 लाख रुपये की मांग करना व मांग पूरी ना होने पर वादिया की बहन सोनिया को जबरदस्ती जहर देकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 195/26 धारा 80(2)/85/115(2)/123 बी0एन0एस0 व ¾ डी0पी0 एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी हरडेकी थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर** को शिवदासपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी हरडेकी थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी मय व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. रि0का0 1902 दलवीर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. रि0का0 1914 विशाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक –25.07.2026

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी के शिकार हुए पीडिता के खाते मे 10,000 /- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी ।</u>

अवगत कराना है कि आवेदिका कु0 सुभांगी पुत्री प्रदीप कुमार निवासी इन्द्रा कालोनी शारदानगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से 20,000/- रूपये ठग लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर दिनांक 23/04/2026 को साइबर कम्पलेन्ट नम्बर 23104260078022 शिकायत प्राप्त हुयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी धनराशि में से 10,000/- रूपये की धनराशि पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी है। पीड़िता द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

<u>साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
2. *निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
4. *हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
6. *का0 1375 दिव्य प्रताप सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
7. *म0का0 2130 राखी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
8. *म0का0 887 रिंकी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
9. *म0का0 983 मीनू गिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 25.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15.90 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है*

अभियान के क्रम में ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त* ***सोभान पुत्र शहीद निवासी ग्राम चौरा खुर्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम फिरोजाबाद से ईदगाह जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15.90 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 261/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोभान पुत्र शहीद निवासी ग्राम चौराखुर्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0 268/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 120/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 266/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 329/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 175/25 धारा 305(ए) ,317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 249/25 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 285/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 513/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 196/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 15.90 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 628 प्रियाँशू थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 620 सुजल थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक:25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 ग्राइंडर बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 24.04.2026 को वादी शहजाद पुत्र इरशाद निवासी हाकमशाह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा दि0 23.04.2026 की रात्रि के समय वादी के गोदाम से एक ग्राइंडर मशीन व ट्यूबवेल की मोटर के पार्ट व कुछ सामान ट्रैक्टर का वजन करीब 50-60 किलो ग्राम आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 305(1),317(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त **सुलेमान उर्फ सोनू पुत्र सलीम नि0 मौहल्ला नाज कालोनी, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर** को दबनी कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 ग्राइंडर बरामद हुआ । मुकदमा उपरोक्त मे दिनांक 25.04.2026 को एक अभियुक्त आसिफ उर्फ गांधी पुत्र मौहम्मद चांद नि0 हाजी मक्खी की रिठान थाना कुतुबशेर जनपद सहारपुर को गिरफ्तार कर पूर्व मे मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त सुलेमान ने पूछने पर बताया कि मैं अपने साथी के साथ मिलकर रात के समय नकबजनी की वारदातो को अंजाम देता हूँ और जो भी सामान चोरी में मिलता था उसको मौका देखकर हम लोग राह चलते लोगो को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते थे तथा जो पैसा मिलता था उसको बराबर हिस्सों में बांट लेते थे । बरामद चोरी के सामान के बारे में बताया कि अभी कुछ दिनों पहले मैने अपने साथी आसिफ उर्फ गांधी के साथ मिलकर कुतुबशेर क्षेत्र में एक गोदाम से चोरी किया था तथा आसिफ और मैने साथ मिलकर नकुड़ व कोतवाली देहात क्षेत्र में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आज मै चोरी किये हुए ग्राइंडर को बेचने के लिये जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुलेमान उर्फ सोनू पुत्र सलीम नि0 मौहल्ला नाज कालोनी, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 ग्राइंडर बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0स0 229/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 176/2026 धारा 305(1),317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 आकाश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 1081 रूपेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक:25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि आज दिनांक 25.07.2026 को वादी श्री जाकिर अली पुत्र जहीर अहमद निवासी मोहल्ला खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत खुद के पुत्र अब्दुल रहीम उम्र करीब 11 वर्ष के घर से बादशाही मस्जिद मदरसे में पढने के लिए जाना तथा वापस घर न आने के संबंध में दी गयी थी, तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा/लावारिस बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाने हेतु ***ऑपरेशन मुस्कान*** *अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे के अन्दर गुमशुदा अब्दल रहीम उपरोक्त को नई बस्ती खानआलमपुरा सलिया घाट मस्जिद से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों द्वारा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।*

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 श्री राजकुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*
2. *का0 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*

दिनांक -25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी 72,969/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते मे वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को पीडित सिदान्त सिंघल पुत्र सुबोध कुमार गुप्ता निवासी गिल कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनुपर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा विदेश मे जांब दिलाने को लेकर धोखाधडी से साइबर फ्रॉड के माध्यम से 72969/- रुपये ठग लेने के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा दिनांक18.02.2026 मे हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 23102260032308 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी मे ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन धोखाधडी के माध्यम से ठगी गयी ***72,969/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस*** *कराये गये। धनराशी वापस आने पर पीडित द्वारा थाना सदर बाजार साइबर हेल्प डेस्क का आभार प्रकट किया गया।*

वापस करायी गयी धनराशिः-

- *72,969/- रुपये*

धनराशि वापस कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. का0 2243 हरिसेन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 2121 राजीव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6.रि0का0 2080 अंकुश थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:25.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त **सूरज पुत्र बीरबल निवासी शिवेन्द्र विहार कालोनी गणेश विहार थाना मण्डी सहारनपुर (**सम्बन्धित वाद सं. 6995/24 धारा 25 आर्मस एक्ट चालानी थाना को0नगर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) को शिवेन्द्र विहार कालोनी गणेश विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सूरज पुत्र बीरबल निवासी शिवेन्द्र विहार कालोनी गणेश विहार थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0310 विपिन पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक -25.07.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.08.2019 को वादिया श्रीमती पायल पुत्री जीतसिंह निवासी बुढडाखेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर के साथ अभियुक्त हरपाल पुत्र कटहरा निवासी ब्रहमपुरी कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0स0-596/2019 धारा 376 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1115/2021 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते* ***माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 25.07.2026 को अभियुक्त हरपाल पुत्र कटहरा निवासी ब्रहमपुरी कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0स0-596/2019 धारा 376 भादवि का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश कुमार सैनी
विवेचक उनि0 श्री संजीव कुमार
पैरोकार हे0का0-मोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक -25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा धोखाधडी के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.02.2026 को वादी श्री शुभम मित्तल पुत्र सुनील कुमार मित्तल निवासी मौ0 कारयस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की तहरीर बाबत विपक्षी द्वारा वादी के साथ फर्जी दस्तावेज से बैनामा करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 0076/2026 धारा 318(4)/352/351(3) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा का समावेश होकर अन्तर्गत धारा 318(4)351(3)352,336(3)338,340(2) बीएनएस में विवेचना प्रचलित रही।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ***मजाहिर हसन पुत्र अली हसन निवासी मौ0 बडजियाउलहक थाना देवंवद जनपद सहारनपुर*** *को मौ0 बडजियाउलहक थाना देवंवद जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मजाहिर हसन पुत्र अली हसन नि0 मौ0 बडजियाउलहक थाना देवंवद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *गोविन्दशरण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 1319 अनुज थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 2253 संजय थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2284 श्रीकृष्ण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*

दिनांक -25.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सहारनपुर पुलिस द्वारा समस्त कांवड़ मार्गों की ड्रोन कैमरों से की जा रही है सतत निगरानी

आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के प्रभावी इंतजाम किए गए हैं।

इसी क्रम में जनपद के समस्त प्रमुख कांवड़ मार्गों, संवेदनशील स्थलों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों एवं शिविर स्थलों पर अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों के माध्यम से निरंतर हवाई निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों से प्राप्त लाइव फीड का पुलिस कंट्रोल रूम एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार अवलोकन किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, भीड़ का अत्यधिक दबाव, यातायात अवरोध अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक पुलिस बल को मौके पर भेजकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ड्रोन निगरानी के माध्यम से कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों, पुलिस पिकेटों, मोबाइल गश्त, क्यूआरटी, यातायात पुलिस तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से भी निरंतर निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

*सहारनपुर पुलिस जनपदवासियों एवं समस्त कांवड़ श्रद्धालुओं से अपील करती है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल निकटतम पुलिसकर्मी अथवा आपातकालीन सेवा **112** पर दें।*

सहारनपुर पुलिस कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत है।